कार्यालय – न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कोरबा, जिला–कोरबा छ.ग.

–:– विज्ञापन –:–

क्रमांक 97 /दो–11–01/2024 कोरबा, दिनांक 25–05– 2024

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21–06–2024 संध्या 5.00 तक

स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से

(अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगें।)

कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कोरबा (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं चौकीदार आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

रिक्त पदों का विवरण एवं आरक्षण निम्नानुसार है :–

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित पद				आरक्षित पद											
							अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	सैनिकभूतपूर्व	मुक्त	महिला	दिव्यांग	सैनिकभूतपूर्व	मुक्त	महिला	दिव्यांग	सैनिकभूतपूर्व	मुक्त	महिला	दिव्यांग	सैनिकभूतपूर्व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	वाहन चालक	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	आदेशिका वाहक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	योग	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.	चौकीदार	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

नोट :– 1. पदों एवं आरक्षित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

2. **It is made clear that all appointments shall be subject to the result/final out come of SLP(C)**

19668/2022, filed before Hon'ble Supreme Court.

3. विज्ञापन में कोई भी Corrigendum जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का अधिकार होगा, जो कि अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थीयों से प्राप्त आवेदन पत्र, अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किये जायेंगे।

क0	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणित योग्यता
1	वाहन चालक	छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 वेतनमान 19500—62000 लेवल—4	1. किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. परिवहन/कॉमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जावेगी। 3. स्वस्थ होना चाहिए। 4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली)का ज्ञान होना चाहिए।
2.	आदेशिका वाहक	छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 वेतनमान 18000—56900 लेवल—3	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण हो। 2. स्वस्थ होना चाहिए। 3. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली)का ज्ञान होना चाहिए।
3	चौकीदार (आकस्मिकता निधी)	कलेक्टर कोरबा द्वारा समय—समय पर निर्धारित दैनिक वेतन	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है (कक्षा 10वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।)

सीधी भर्ती हेतु पात्रताः.

चयन हेतु पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा, अर्थात्,

(1) वह भारत का नागरिक हो,

(2) उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है परन्तु शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु पूर्ण नहीं की है, परन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो । छत्तीसगढ राज्य का मुल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी |

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग को राज्य शासन द्वारा समय- समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः

1. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष

2. महिला वर्ग हेतु 10 वर्ष

3. भूतपूर्व सैनिक इत्यादि वर्गों के सदस्यों हेतु उच्चतर आयु सीमा शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शिथिलनीय होगी;

(5) सरकारी नीतियों के अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगा जो छत्तीसगढ़ शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व के मण्डल व निगम के स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं,

(6) "दिव्यांग" अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता शासन द्वारा समय -समय पर जारी आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार होगी ।

परंतु यह कि किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा सभी वर्गों से सभी शिथिलतओं को सम्मिलित करते हुये भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(7) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राघिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाती प्रमाण पत्र , मुल निवास प्रमाण पत्र , अधिकतम आयु सीमा या विशेष वर्ग् में छूट चाहने के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हे अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जायेगा ।

<u>सेवा में नियुक्ति हेतु निरहर्ताः-</u>

(1) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है ।

(2) कोई व्यक्ति जिसकी/जिसका एक से अधिक पत्नी/पति जीवित हो वह सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा ।

(3) कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक उसे जिला चिकित्सा बोर्ड/सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ प्रमाणित नहीं किया गया हो ।

परन्तु यह कि नियुक्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर चिकित्सकीय आरोग्य प्रमाण-पत्र(मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) की प्रस्तुति के अध्ययीन किसी अभ्यर्थी को अनंतिम तौर पर नियुक्ति किया जा सकता है । चिकत्सा बोर्ड द्वसरा सेवा हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

(4) अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थिया हेतु किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को परीक्षा समिति द्वारा उसकी भर्ती हेतु निरहर्ता मानी जाएगी ।

(5) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदिः-

(क) वह किसी विधि-विरूद्ध निकाय अथवा संगठन से जुड़ा हुआ है अथवा उसका सदस्य है या रह चुका है;

अथवा

(ख) ऐसी किसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हो या उनसे जुड़ा हुआ है-

(I) जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का विनाश हो;

(II) जिसका उद्देश्य हिंसा करते हुए विधि का संगठित उल्लेख अथवा निधि का विरोध करना हो;

(III) जो भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के हितों तथा राज्य की सुरक्षा के विपरीत हों;

अथवा

(IV) नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म , प्रजाति, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर वैमनस्यता अथवा धृणा को बढ़ावा देता हो;

अथवा

(ग) जिसे किसी भी शासकीय सेवा में भविष्य में नियोजन हेतु अयोग्य मानते हुए भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन अथवा उच्च न्यायालय के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है;

अथवा

(घ) जिसे संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी उच्च न्यायालय द्वारा उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने से विवर्जित अथवा निरर्हित किया गया हो;

अथवा

(ड) जो नैतिक अधमता समाहित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जा चुका हो ।

<u>अन्य शर्ते</u> :–

1. अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत् शासकीय सेवकों के लिये लागू नहीं है।) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
2. आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जावेगा।

साथ ही उन्हें उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को स्वप्रमाणित करना होगा।

3. आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

4. विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।

5. चयन प्रक्रिया के संबंध में <u>न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कोरबा</u> का निर्णय अंतिम होगा।

6. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया/प्रतियोगी परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

7. उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 03 माह तक ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान की जायेगी।

8. वाहन चालक एवं आदेशिका वाहक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 03 वर्श की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जायेगा।

9. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

10. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 5वीं/8वीं के प्रमाण पत्र अथवा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की मान्य होगें।

—:— आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया —:—

1. प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्णतः भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं चौकीदार (आकस्मिकता निधी) लिखा हो तथा लिफाफे के बांई ओर विज्ञापन क्रमांक तथा दिनांक का एवं वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, "कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) पिन नं. 4 9 5 6 7 7 " को सम्बोधित होना चाहिए।

2. निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

3. आवेदन पत्र में चस्पा फोटो स्वप्रमाणित होना चाहिए।

4. बिना हस्ताक्षर अथवा फोटो के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही निर्धारित प्रमाण पत्र, निवास/जाति प्रमाण पत्र, अधिकतम आयु या विशेष वर्ग में छूट चाहने बाबत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति के बिना प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

5. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक विज्ञापित पद हेतु चाही गई योग्यता धारित करता/करती हो।

6. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. अभ्यर्थी के पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड में से कोई एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

8. अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

—:— <u>नियुक्ति हेतु चयन विधि</u> —:—

<u>वाहन चालक के पद हेतु</u> :—

लिखित परीक्षा

(अ) वाहन चालक के पद पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 15 गुना या अधिक तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। प्रथम चरण में 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान एवं मोटर व्हीकलस से संबंधित प्रश्न पुछें जावेगें। किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की छंटनी की प्रकिया भर्ती कमेटी द्वारा निर्धारित की जावेगी, जो वाहन चालक की न्यूनतम योग्यता कक्षा आठवीं में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है।

(ब) वाहन परिचालन के परीक्षण हेतु 50 अंको का कौशल/प्रायोगिक/दक्षता परीक्षा आयोजित किया जावेगा। कौशल परीक्षा/प्रायोगिक/दक्षता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी।

<u>आदेशिका वाहक एवं चौकीदार के पद हेतु</u> :—

(अ) आवेदन पत्र सही पाये जाने पर अभ्यर्थियों को अभिवृत्ति व कौशल परीक्षा सह—साक्षात्कार हेतु अवसर प्रदान किया जावेगा एवं अभिवृत्ति एवं कौशल में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

संपूर्ण विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय कोरबा के वेबसाईट <u>www.ecourts.gov.in/korbaa</u> पर उपलब्ध है।

—:— <u>महत्वपूर्ण टीप</u> —:—

1. कौशल परीक्षा के समय समस्त मूल प्रमाण पत्रों को लेकर आना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्र जांच उपरांत ही कौशल परीक्षा में बैठने दिया जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस

प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही ज्वाईनिंग दी जायेगी तथा आरक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर छ0ग0 से किए जाने के बाद ही ज्वाईनिंग दी जायेगी।

4. चयनित अभ्यर्थियों के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, अपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

5. प्रशासनिक एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से यह विज्ञापन परीक्षा के किसी भी स्तर पर बिना पूर्व सूचना दिये कभी भी निरस्त/स्थगित किया जा सकेगा।

6. अभ्यर्थी जिला न्यायालय कोरबा की वेबसाईड www.ecourts.gov.in/korba से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाप्रति कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्व–हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड में से कोई एक की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा की दशा में कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर कौशल परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक दिनों में ली जा सकेगी।

7. प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरान्त पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कार्यालय की वेबसाईट www.ecourts.gov.in/korba पर अपलोड किया जावेगा तथा कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् कार्यालय के वेबसाईट www.ecourts.gov.in/korba पर प्रकाशित/अपलोड की जायेगी। (अभ्यर्थियों को उक्त वेबसाईट का सतत् अवलोकन करते रहने की सलाह दी जाती है।)

8. अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रारूप को स्वयं भरकर कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 01 घण्टा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होगें। विलंब से उपस्थित होने पर कौशल परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।

9. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं।

10. नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

14/5/24

गरिमा शर्मा
अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
जिला -कोरबा छ०ग०

आवेदन पत्र का प्रारूप

(वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं चौकीदार (आकस्मिकता निधी) के पद हेतु)

अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग अंकित करें

अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित यहां चस्पा करें।

प्रति,

श्रीमान् न्यायाधीश,

कुटुम्ब न्यायालय कोरबा (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में)

4. लिंग– पुरूष/महिला/तृतीय लिंग वर्ग

5. (अ) पिता/पति का नाम

(ब) माता का नाम

6. (अ) पत्र व्यवहार का पता

(ब) स्थाई पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो, तो "तदैव" लिखें)

7. (अ) जन्म तिथि अंकों में

(ब) जन्म तिथि शब्दों में

(स) दिनांक 01.01.2024 को आयु

वर्ष		माह		दिन	

8. अभ्यर्थी आयु में छूट का कोई दावा करता है :– हां/नहीं

(यदि हां तो कौन सा दस्तावेज संलग्न कर रहा हैं।)

9. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है? हां/नहीं :–

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

10. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं :–

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

11. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है? हां/नहीं
(यदि हां, तो दिव्यांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

12. क्या आप विवाहित हैं ? हां/नहीं

13. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:–

क्र0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्श	बोर्ड वि0वि0 का नाम	विशय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

14. अन्य योग्यता/अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

क्र0	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	पदस्थ अवधि

15. क्या अभ्यर्थी शासकीय/अर्धषासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

16. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है या नहीं ?
यदि हुआ है तो वर्तमान स्थिति ....

17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः-
(दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिए)

1.	....	2.	....
3.	....	4.	....
5.	....	6.	....
7.	....	8.	....

घोषणा-पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सहीं है एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। उपरोक्त दी गई कोई भी जानकारी अथवा सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर आवेदित पद के लिए मेरी उम्मीद्वारी रद्द या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक ....

स्थान ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.......................................

नाम ....

पता ....

अनुमोदनार्थ/PC.

25/5/24